वाणिज्य/जोधपुर डिस्कॉम– 729

जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड

क्रमांक : जो.वि.वि.नि.लि./प्र.नि./मु.अ.(मु.)/अ.अ.(आर.ए.–सी.)/फा /प्रे. 846 दि. 16.09.2016

आदेश

विषय : मुख्यमंत्री ग्रामीण घरेलू कनेक्शन योजना।

समय–समय पर फील्ड अधिकारियों एवं जन प्रतिनिधियों द्वारा यह ध्यान में लाया गया है कि वर्तमान में गैर आबादी क्षेत्र में स्थित आवासों में विद्युत कनेक्शन के लिए कोई योजना नहीं है, जबकि इन क्षेत्रों में लगभग 4–5 लाख से अधिक आवास खेतों में एवं छितरायी हुई ढाणियों में स्थित है। ऐसे आवासों में कनेक्शन देने हेतु ग्रामीण नागरिकों की लगातार मांग के चलते **"मुख्यमंत्री ग्रामीण घरेलू कनेक्शन योजना"** निम्नलिखित प्रावधानों के साथ आरम्भ की जा रही है :–

1. ग्रामीण गैर आबादी क्षेत्र में खेतों एवं अविद्युतिकृत ढाणियों में स्थित आवासों में घरेलू विद्युत कनेक्शन लेने के इच्छुक सभी रहवासी अपना आवेदन कनेक्शन हेतु पंजीकृत करा सकते है।

2. प्रथम चरण में 19 सितम्बर, 2016 से 31 अक्टूबर, 2016 तक कनेक्शन के इच्छुक ग्रामीण पंजीकरण करवा सकते है। इसके लिये 100 रूपये पंजीकरण राशि संबंधित सहायक अभियन्ता कार्यालय में जमा करानी होगी । पंजीकरण से किसी प्रकार की वरीयता निर्धारित नहीं होगी।

3. **तकनीकी साध्यता :–**
   - पंजीकृत सभी आवेदनों का सर्वे कर 30 नवम्बर, 2016 तक लोड सेन्टर का निर्धारण किया जावेगा। लोड सेन्टर की स्वीकृति अधिशाषी अभियन्ता द्वारा जारी की जावेगी।
   - जो आवेदक स्थापित 11 केवी तंत्र से 650 मीटर के दायरे में स्थित होंगे, उन्ही के आवेदनों पर विचार किया जायेगा।
   - स्थापित 11 के.वी. लाईन से 150 मीटर (2 स्पान सिंगल फेज) की सीमा में नया सिंगल फेज ट्रांसफार्मर स्थापित किया जावेगा।
   - लोड सेन्टर का निर्धारण करते समय यह सुनिश्चित किया जावेगा कि एक सिंगल फेज ट्रांसफार्मर पर कम से कम चार या उससे अधिक आवेदकों को कनेक्शन दिये जा सके।
   - साध्य आवेदन अनुरूप लोड सेन्टर पर 5 या 10 के.वी.ए. क्षमता के सिंगल फेज ट्रांसफार्मर स्थापित कर कनेक्शन दिये जावेंगें।
   - आवश्यकता होने पर ट्रांसफार्मर की वर्तमान क्षमता में वृद्धि की जा सकेगी।
   - स्थापित एल.टी. लाईन का विस्तार कर इस योजना में कनेक्शन नहीं दिये जावेंगे।

4. कनेक्शन हेतु शुल्क

- 11 केवी ट्रांसफार्मर 150 मीटर तक स्थापित किये जाने की स्थिति में 10,000 रूपये प्रति कनेक्शन मांग राशि ली जावेगी जिसमें आवेदन शुल्क, मीटर व अमानत राशि शामिल है।
- 150 मीटर से अधिक 500 मीटर तक 11 केवी लाइन स्थापित करने की स्थिति में 100 रूपये प्रति मीटर सर्वे में चिन्हित आवेदन ग्रुप से लिये जावेंगे।

5. कनेक्शन की कार्यवाही :–

- ट्रांसफार्मर पोल टॉप के नजदीक लगाया जावेगा।
- ट्रांसफार्मर पर बॉक्स स्थापित कर पोल पर ही एल.पी.आर. मीटर लगाकर कनेक्शन दिये जावेंगे, जिससे मीटर रीडींग हेतु पोल पर चढ़ने की आवश्यकता नही रहेगी।
- पोल पर स्थापित मीटर से आर्मड सर्विस लाईन आवास तक उपभोक्ता द्वारा स्वंय के खर्चे पर स्थापित की जावेगी।
- सामान्यतः सर्विस लाईन 500 मीटर से अधिक नहीं होगी।

आज्ञा से

16/9/16

(एम.आर.मीणा)
अति.मुख्य. अभियंता (एच.क्यू.)
जोधपुर डिस्कॉम, जोधपुर

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

- निदेशक (वित्त), जोधपुर डिस्कॉम, जोधपुर।
- निदेशक (तकनीकी), जोधपुर डिस्कॉम जोधपुर ।
- संभागीय मुख्य अभियन्ता(जोधपुर/बीकानेर/बाड़मेर संभाग),जोधपुर डिस्कॉम, जोधपुर/बीकानेर/बाड़मेर।
- मुख्य लेखाधिकारी, ( ) जोधपुर डिस्कॉम, जोधपुर/जयपुर।
- प्रावे. सहा. अध्यक्ष, डिस्कॉम्स, जयपुर को अध्यक्ष महोदय के अवलोकनार्थ।
- प्रावे. सहा. प्रबन्ध निदेशक, जोधपुर/अजमेर/जयपुर डिस्कॉम, जोधपुर/अजमेर/जयपुर को प्रबन्ध निदेशक महोदय के अवलोकनार्थ।
- कम्पनी सचिव, जोधपुर डिस्कॉम, जोधपुर।
- अधीक्षण अभियन्ता (नगर/जिला/पवस/टर्न–की/पीपीएम/एम.एण्डपी/बी.एफ.एल./एमएम एवं सी), जोधपुर डिस्कॉम, जोधपुर/पाली/जालोर/बाड़मेर/चूरू/बीकानेर/श्रीगंगानगर/हनुमानगढ़/जैसलमेर/सिरोही।
- अधीक्षण अभियंता (आईटी), जोधपुर डिस्कॉम, जोधपुर कृपया यह आदेश जोधपुर डिस्कॉम की वेबसाइड पर प्रदर्शित करें।
- सहायक अधिकारी, Ombudsman, विद्युत विनियामक भवन, सहकार मार्ग, स्टेट मोटर गैराज के पास, जयपुर, को Ombudsman के अवलोकनार्थ।
- अति. पुलिस अधीक्षक (सतर्कता), जोधपुर डिस्कॉम, जोधपुर (आपके अधीनस्थ अधिकारियों को उपलब्ध कराने हेतु) ।
- वरिष्ठ लेखाधिकारी/लेखाधिकारी (नगर/जिला/पवस/एम.एम.अंकेक्षण/वाणिज्य/सीपीसी एंव रोकड़) जोधपुर डिस्कॉम, जोधपुर/पाली/जालोर/बाड़मेर/चूरू/बीकानेर/श्रीगंगानगर/हनुमानगढ़।
- प्रावेधिक सहायक मुख्य अभियन्ता ([illegible]), जोधपुर डिस्कॉम, जोधपुर।
- अधिशाषी अभियन्ता ( ), जोधपुर डिस्कॉम,.............................(आपके अधीनस्थ कार्यरत समस्त सहायक अभियंताओं, कनिष्ठ अभियंताओं, लेखाकार को उपलब्ध कराने हेतु।
- जनसम्पर्क अधिकारी, जोधपुर डिस्कॉम, जोधपुर।

16/9/16

अति.मुख्य. अभियंता (एच.क्यू.)
जोधपुर डिस्कॉम, जोधपुर